उत्तराखण्ड वन विकास निगम

प्रधान कार्यालय – अरण्य विकास भवन, 73 नेहरु रोड, देहरादून

दूरभाष :-0135-2657610, फैक्स :-0135-2655488, ई-मेल: vanvikas12@gmail.com

वाहय स्रोत से योजित होने वाले कार्मिकों की सेवाएँ आपूर्ति/उपलब्धता हेतु निविदा आमंत्रण

(पत्रांक ई-1618.../निविदा- बाहय सेवा, दिनांक 13-07-2023)

संलग्नक-सूची

क्र0सं0	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1	कार्य विवरण	2 से 4 तक
2	निविदाशर्तें- निर्देश	5 से 7 तक
3	अनुबन्ध/ शर्तें	8
4	तकनीकी निविदा प्रपत्र /प्रारूप	9
5	वित्तीय निविदा प्रपत्र/प्रारूप	10

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (मुख्यालय)
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
अरण्य विकास भवन,
73, नेहरू रोड, देहरादून

दूरभाष – 0135-2657610
ई-मेल :-vanvikas12@gmail.com
वैबसाईट :- uafdc.in

निविदा निर्देश एवं शर्तें–

उत्तराखण्ड वन विकास निगम में बाहयस्रोत के माध्यम से सर्वर प्रशासक, कम्प्यूटर ऑपरेटरों, कार्यालय सहायकों, फील्ड सहायक–2, फील्ड सहायक–1 आदि सम्बन्धी सेवायें उपलब्ध कराने /आपूर्ति करने हेतु इच्छुक संस्थाओं/फर्मों से मोहर बन्द निविदायें दिनांक 07.08.2023 को अपरान्ह 2:00 बजे तक पत्र संख्या–........./दिनांक .... .2023 के माध्यम से आमन्त्रित की जाती हैं। तत्सम्बन्धी कार्य विवरण, निविदा निर्देश एवं शर्तें निम्नवत हैं :–

(क) कार्य विवरण– सेवाएँ उपलब्ध कराना :– उत्तराखण्ड वन विकास निगम में वाहय स्रोत से योजित किये जाने वाले (1) वरिष्ठ सर्वर प्रशासक (2) कनिष्ठ सर्वर प्रशासक (3) एम.आई.एस. आपरेटर (4) कम्प्यूटर ऑपरेटर (5) कार्यालय सहायक (6) चालक (7) विद्युत सहायक (8) लेखा सहायक (9) विभिन्न कार्यों हेतु फील्ड सहायक (10) अन्य की सेवाएँ उपलब्ध कराई जानी है। उक्त सेवा हेतु उत्तराखण्ड वन विकास निगम के द्वारा निर्धारित दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान करना होगा और सेवा प्रदान करने वाले सेवायोजक को उक्त पारिश्रमिक एवं टेण्डर प्रक्रिया द्वारा निर्धारित सेवा शुल्क आदि का नियमानुसार भुगतान उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा।

वाह्य सेवा से प्राप्त की जानी वाली विभिन्न सेवाओं की श्रेणियाँ निम्नवत् हैं। विभिन्न सेवाओं हेतु आवश्यक योग्यता एवं अनुभव का विवरण निम्नवत है :–

वाहयस्रोत से योजित होने वाले सेवा हेतु योग्यता एवं अनुभव	सेवा का विवरण
(1) Senior Server Administrator:	
Graduate in Computer Science /Engineering degree in Computer Science / MCA or BCA from a recognized institute, with a minimum of at least One year work experience in IT industry, with a minimum of at least six months in server management. Preference shall be given in the following order: - Engineering degree > Graduate in Computer Science > MCA degree > BCA.	उत्तराखण्ड वन विकास निगम के देहरादून स्थित कार्यालय में सर्वर के निरन्तर निंबाधित संचालन सम्बन्धी सभी कार्यों का निषादन सुनिश्चित करना निगम के MIS के प्रभारी अधिकारीगणों के समक्ष ससमय पत्रावलियां प्रस्तुत करना तथा प्रत्येक कार्यदिवस को KMS का संचालन, बैकअप, रिर्पोटिंग करना। फील्ड में तैनात KMS आपरेटर्स का मार्गदर्शन करना तथा सम्पूर्ण KMS का समन्वय सभी सम्बन्धित से बनाये रखना।
(2) Junior Server Administrator:	
Graduate in any stream of Science /MCA or BCA with specialization in Hardware, software and networking. • A minimum of three-year work experience in IT industry, with a minimum of at least six months in server management.	उत्तराखण्ड वन विकास निगम के हल्द्वानी स्थित कार्यालय से पश्चिमी/कुमाऊ क्षेत्र के KMS आपरेटर्स का मार्गदर्शन करना तथा सम्पूर्ण KMS का समन्वय सभी सम्बन्धित अधिकारीयों से बनाये रखना।

(3) MIS Operator:	
Intermediate in any stream with Diploma in computer hardware and networking from a reputed institute. A valid driving licence for two wheelers, and undertaking for agreement to travel to mining areas on work days.	उत्तराखण्ड वन विकास निगम के KMS के संचालन का प्रशिक्षण उपरान्त यथा आवश्यकता खनन प्रभागों में तैनाती की जायेगी। खनन गेंटो में कम्प्यूटरीकृत धर्मकांटों में KMS को क्रियान्वित करने की सम्पूर्ण कार्यवाही करना। खनन प्रभाग के प्रभारी, खनन गेट के प्रभारी से समन्वय स्थापित करना। KMS आपरेटर स्वयं का दुपहिया वाहन का प्रयोग करेगा जिस हेतु उसे नियमानुसार आवश्यक प्रतिपूर्ति देय होगा।

(4) कम्प्यूटर ऑपरेटर	
इण्टरमीडियट + कम्प्यूटर ऐप्लीकेशन का न्यूनतम 06 माह का डिप्लोमा/सर्टिफिकेट + MS Word MS Excel, Power Point का ज्ञान + अग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट एवं हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट टंकण। न्यूनतम 01 वर्ष का अनुभव।	उत्तराखण्ड वन विकास निगम के कार्यालयों में नियंत्रक अधिकारी के निर्देशन में कम्प्यूटर सम्बन्धी कार्यों का निर्वहन करेंगे।
(5) कार्यालय सहायक	
इण्टरमीडियट + कम्प्यूटर ज्ञान। अग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट एवं हिन्दी में 28 शब्द प्रति मिनट टंकण। न्यूनतम 01 वर्ष का अनुभव।	उत्तराखण्ड वन विकास निगम के कार्यालयों में नियंत्रक अधिकारी द्वारा दिये गये कार्यालय सम्बन्धी कार्यों का निर्वहन करेंगे।
(6) चालक	
हाईस्कूल उत्तीर्ण एवं विधि मान्य कामर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस + पहाडी मार्गों पर वाहन चलाने का 03 वर्ष का अनुभव।	उत्तराखण्ड वन विकास निगम के वाहनों के संचालन कार्य सहित वाहन की धुलाई सफाई एवं समुचित रख-रखाव।
(7) विद्युत सहायक	
इण्टरमीडियट + ITI डिप्लोमा/सर्टिफिकेट + न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव।	उत्तराखण्ड वन विकास निगम में विद्युत कार्यों के रख-रखाव एवं सामान्य मरम्मत कार्य।
(8) लेखा सहायक	
एकाउन्टैन्सी को एक विषय के रूप में लेकर वाणिज्य स्नातक। कम्प्यूटर ज्ञान एवं टैली का सर्टिफिकेट। न्यूनतम 01 वर्ष का लेखा सहायक का अनुभव।	उत्तराखण्ड वन विकास निगम के कार्यालयों में नियंत्रक अधिकारी द्वारा दिये गये लेखा सम्बन्धी कार्य एवं अभिलेखों का रख-रखाव आदि।
(9) फील्ड सहायक-1	
हाईस्कूल साइंस। वन उपज कार्यों में 02 वर्ष का अनुभव।	उत्तराखण्ड वन विकास निगम के नियंत्रक अधिकारी द्वारा दिये गये खनन/लौगिंग/डिपो सम्बन्धी कार्यों के निर्वहन।

(10) फील्ड सहायक–2	
कक्षा 5 उत्तीर्ण तथा न्यूनतम 01 वर्ष का अनुभव।	उत्तराखण्ड वन विकास निगम के नियंत्रक अधिकारी द्वारा समय–समय पर सौंपे गये सभी कार्यों को पूर्ण करना, कार्यालय उपकरणों /अभिलेखों की साफ–सफाई एवं रख–रखाव आदि का कार्य।
(11) अन्य	
कार्यों की आवश्यकता अनुरूप	भविष्य में कार्यों की आवश्यकतानुसार।

निविदा निर्देश–शर्तें

1. सील बन्द निविदा दिनांक 07.08.2023 के अपरान्ह 2:00 बजे तक निम्नांकित कार्यालय में स्पीड पोस्ट /पंजीकृत डाक के माध्यम से पहुँचनी / प्राप्त होना अनिवार्य है। दस्ती निविदा स्वीकार नहीं होगी।

पता–

प्रभागीय प्रबन्धक (मुख्यालय)
उत्तराखण्ड वन विकास निगम,
अरण्य विकास भवन, 73, नेहरू रोड़, देहरादून–248001

दूरभाष– 0135–2657610, 2713815

2. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2018 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा बाह्य सेवाप्रदाता के माध्यम से विभिन्न सेवायें उपलब्ध कराने हेतु इच्छुक फर्मों/ठेकेदारों/संस्थाओं से दो–प्रस्ताव निविदा प्रणाली (Two Bid System) के द्वारा निविदाएँ आमंत्रित की जाती है।

3. तकनीकी प्रस्ताव और वित्तीय निविदा को अलग–अलग लिफाफे में सील बन्द किया जाएगा। लिफाफे के ऊपर "**तकनीकी बिड**" और "**वित्तीय बिड**" सहित निविदादाता के नाम का भी उल्लेख आवश्यक है। इन दोनों सील बन्द लिफाफों को एक दूसरे बड़े लिफाफे में रखकर सील बन्द किया जाएगा जिस पर बड़े एवं स्पष्ट अक्षरों में " **बाह्य स्रोत से सेवा प्रदान/उपलब्ध कराने हेतु निविदा**" सहित निविदादाता का नाम व पता स्पष्ट लिखा होना अनिवार्य है।

4. **निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि व समय** :– दिनांक 07.08.2023 को अपरान्ह 02:00 बजे तक।
विलम्ब से प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। डाक किसी विलम्बता/गड़बड़ी के लिए उत्तराखण्ड वन विकास निगम उत्तरदायी नहीं होगा।

5. **निविदा प्रपत्रों की उपलब्धता**– निविदा प्रपत्र एवं इसकी शर्तें/निर्देश उत्तराखण्ड़ वन विकास निगम की वेबसाईट **www.uafdc.in/tenders.html** पर उपलब्ध है। इच्छुक/निविदादाता इसे डाउनलोड कर उपयोग कर सकते हैं।

6. 6.1 **जमानत** :– तकनीकी निविदा के साथ रू. 50,00,000/– (रूपये पचास लाख) अरनेस्ट–मनी/नेक जमानत हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ.डी.आर./बैंक गारंटी के रूप में संलग्न करना अनिवार्य है जो **'प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून'** के पदनाम बंधक होना आवश्यक है। एफ.डी.आर. वैधता दिनांक 31.03.2026 तक की होनी चाहिए। अरनेस्ट–मनी के बिना निविदा स्वीकार नहीं होगी। सफल निविदादाता का अरनेस्ट–मनी उनके जमानत/(सिक्योरिटी डिपोजिट) के रूप में समायोजित किया जा सकेगा।

6.2 वर्ष 2022–23 में उत्तराखण्ड वन विकास निगम में बाह्य सेवा हेतु कर्मियों की संख्या लगभग 700 थी, जिस पर पारिश्रमिक व्यय 25 करोड़ लगभग था। इसी आधार पर उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2018 के अनुसार जमानत धनराशि रू0 50 लाख रखी गयी है।

सफल निविदादाता द्वारा सेवा अवधि/किसी समय सेवा देने से मना करने या निविदा में दी गई सूचनाओं/प्रमाणपत्रों आदि के असत्य पाये जाने /सेवारत कार्मिक के देयकों में कमी/अविधिक कटौती किए जाने/अवैधानिक–अमर्यादित प्रक्रिया अपनाएँ जाने की दशा में निविदादाता का अनुबन्ध निरस्त करते हुए अरनेस्ट–मनी की धनराशि जब्त की जा सकती है एवं विधिक कार्यवाही भी अमल में लाई जा सकती है।

7. वाहय स्रोत के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने वाले सेवा के विरूद्ध निविदा में **"सेवा शुल्क"** की दर निविदित की जानी है। उक्त दर स्पष्ट रूप से अंको व शब्दों में लिखना अनिवार्य है जिसमें किसी प्रकार की कटिंग/ओवर राईटिंग/सफेदा आदि मान्य नहीं होगा। अस्पष्ट होने की दशा में निविदा अमान्य कर दी जाएगी।

8. निविदा में निविदादाता द्वारा **"सेवा शुल्क"** प्रतिशत की दरें **अंकों एवं शब्दों** में स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा, जो बोली होगी। प्राप्त व चयनित टेंण्डरों के टेंटरदाता द्वारा प्रस्तावित बोली का तुलनात्मक परीक्षण किया जायेगा। चयनित टेण्डरों में न्यूनतम बोलीदाता को अवसर दिया जायेगा।

9. प्रदान किए जाने वाले सेवा के पारिश्रमिक का भुगतान उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा निर्धारित दरों पर किया जाएगा जिसमें नियमानुसार बोनस, ई.पी.एफ., ई.एस.आई. एवं अन्य बाध्यकारी देयतायें सम्मिलित होंगी। इस भुगतान पर प्रदान/उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा के विरूद्ध **"सेवा शुल्क"** दर के आधार पर आंगणित धनराशि जोड़कर सफल सेवाप्रदाता को भुगतान उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा मासिक रूप से किया जाएगा जिसमें नियमानुसार आयकर आदि की कटौती की जाएगी।

10. सेवाप्रदाता द्वारा माह मार्च–2023 की ई.सी.आर. (ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी.) की छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा।

11. टैण्डर दाता की विगत तीन वर्ष का न्यूनतम वार्षिक टर्न ओवर रू0 तीस करोड़ प्रतिवर्ष होना आवश्यक है।

12. कर्मचारी भविष्य निधि (ई.पी.एफ.) व कर्मचारी राज्य बीमा (ई.एस.आई.) की पूर्ण विधिक औपचारिकताओं के साथ न्यूनतम 1000 कार्मिकों का, फर्म के रोल्स (Rolls) पर नियुक्त हुआ होना आवश्यक है।

13. सफल सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत बिल में नियमानुसार जी.एस.टी. शामिल किया जायेगा, जिसको सेवा प्रदाता द्वारा निर्धारित तिथि तक नियमानुसार सम्बन्धित विभाग में जमा करना होगा।

14. **निविदा खोलने की तिथि एवं स्थान:–** निर्धारित समय तक प्राप्त निविदाएँ **दिनांक 08.08.2023 को अपरान्ह 03:00 बजे** उत्तराखण्ड वन विकास निगम, अरण्य विकास भवन, 73 नहेरू रोड़, देहरादून के सभागार में उपस्थित अधिकृत समिति द्वारा खोला जाएगा। निविदादाता निविदा खोलते समय उपस्थित रह सकते हैं।

15. **दिनांक 08.08.2023 को अपरान्ह 03:00 बजे** सर्वप्रथम तकनीकी निविदा खोली जायेगी। तकनीकी निविदा में उल्लिखित समस्त विशिष्टियों एवं संलग्न अरनेस्ट–मनी का विवरण स्पष्ट रूप से उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष पढ़कर सुनाया जायेगा। इसके बाद तकनीकी निविदा–प्रपत्र/प्रारूप का मूल्यांकन समिति द्वारा निविदा विशिष्टियों के लिए निर्धारित किये गए तकनीकी निविदा–प्रपत्र/प्रारूप के आधार पर आधार पर किया जाएगा। तकनीकी निविदा–प्रपत्र/प्रारूप के आधार पर निविदादाताओं को सफल निविदादाता माना जायेगा। तकनीकी निविदा–प्रपत्र/प्रारूप में सफल निविदादाताओं को उनके सफल होने की सूचना उनके ई.–मेल, दूरभाष/मोबाईल पर और विभागीय वेबसाईट एवं मुख्यालय के नोटिसबोर्ड पर चस्पा कर दी जाएगी।

वित्तीय निविदा दिनांक 09.08.2023 के आपरान्ह 04:00 बजे उत्तराखण्ड वन विकास निगम, अरण्य विकास भवन, 73 नेहरू रोड, देहरादून के समागार में खोली जाएंगी। वित्तीय निविदा केवल उन्हीं निविदादाताओं की खोली जाएगी जो तकनीकी निविदा में सफल होंगे। वित्तीय निविदा खोले जाने पर जिनकी दरें न्यूनतम पायी जायेंगी उन्हें सफल निविदादाता में सफल माना जायेगा। शेष वित्तीय निविदा बिना खोले हुए सम्बन्धित को वापस कर दी जाएगी।

16. बाह्य स्रोत से सेवा उपलब्ध कराने वाले सेवाप्रदाता की जिम्मेदारी होगी कि किसी सेवा हेतु आवश्यक योग्यता/प्रमाणपत्रों की भली भांति जांच कर लें। सेवा हेतु पुलिस जांच/अपराधिक मामले आदि की जांच सेवा प्रदाता द्वारा अपने स्तर से की जायेगी।

17. उत्तराखण्ड वन विकास निगम को निविदा प्राप्ति/खोलने/निविदा पूर्व बैठक की तिथि व समय में परिवर्तन करने का अधिकार होगा जिसकी पूर्व सूचना विभागीय नोटिस बोर्ड तथा वन विकास निगम की वेबसाईट पर दी जाएगी।

18. उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पास किसी भी या समस्त निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने या निविदा शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

19. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।

20. सफल निविदादाताओं द्वारा वन विकास निगम को सेवा उपलब्ध कराने के दौरान विभिन्न सम्बन्धित विभागों जैसे– आयकर, श्रम विभाग, ई.पी.एफ.ओ., जी.एस.टी. आदि द्वारा निर्धारित कानून नियम एवं दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

21. सफल निविदादाता द्वारा सेवा प्रदान करने के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड वन विकास निगम के साथ निर्धारित शर्तों एवं नियमों के अधीन अनुबन्ध करना होगा।

22. निविदादाता के अधिकृत अधिकारी द्वारा समस्त निविदा प्रपत्रों पर अपने फर्म के मुहर सहित हस्ताक्षर किया जायेगा एवं निविदा के साथ संलग्न अभिलेखों/ प्रमाण प्रपत्रों के पृष्ठभाग पर अपना हस्ताक्षर नाम, पदनाम, पता, ई–मेल, फोन आदि अंकित करना होगा। अन्यथा निविदा स्वीकार्य नहीं होगी।

23. किसी विवाद की दशा में **महाप्रबन्धक (उत्पादन), उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून** ***"आर्बीट्रेटर"*** होंगे। जिनका निर्णय दोंनों पक्षों को मान्य होगा।

24. सेवाप्रदाता का चयन राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों के अन्तर्गत किया जायेगा।

25. सेवाप्रदाता द्वारा जो सेवा उपलब्ध करायी जायेगी वह उत्तराखण्ड वन विकास निगम एवं राज्य/केन्द्र सरकार के नियमानुसार व मापदण्ड के अनुसार होगी।

26. निविदा शर्तों के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शिथिलता अथवा परिवर्तन का अधिकार प्रबन्ध निदेशक उत्तराखण्ड वन विकास निगम का रहेगा।

27. न्यायालय क्षेत्र देहरादून जनपद होगा।

दिनांक ....
स्थान :– देहरादून

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (मु0)
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
73, नेहरू रोड, देहरादून

अनुबन्ध / शर्तें

1. सेवा प्रदाता श्रम कानून से आवृत्त होगा तथा सेवा प्रदाता द्वारा नियोजित किये गये विभिन्न श्रमिकों के सम्बन्ध में विभिन्न श्रम कानूनों के प्राविधानों की पालना का दायित्व सेवा प्रदाता का होगा। सम्बन्धित कानून की जानकारी न होना किसी भी दशा में स्वीकार्य कारण नहीं माना जायेगा।
2. द्वितीय पक्ष द्वारा कर्मकार प्रतिबन्ध अधिनियम (यथासंशोधित) का पालन किया जायेगा। कोई भी दुर्घटना होने पर श्रमिकों हेतु देयता सेवा प्रदाता फर्म/एजेन्सी की होगी इसमें किसी भी प्रकार से प्रथम पक्ष सहयोगी एवं जिम्मेदार नहीं होगा।
3. सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराये श्रमिकों द्वारा राजकीय सम्पत्ति को नुकसान पहंचाये जाने की दशा में उसका भुगतान सेवा प्रदाता फर्म को कराना होगा।
4. यदि कार्यालय अवकाश में दिन के भी संचालित रहता है तथा अन्य कार्मिक भी सेवा हेतु उपस्थित रहते हैं, तो इस स्थिति में सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये श्रमिकों भी कार्य हेतु अपनी उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।
5. प्रथम पक्ष (नियोजक) के स्तर से प्राप्त बिलों के सापेक्ष द्वितीय पक्ष (सेवा प्रदाता) को भुगतान ई–पेमेन्ट के द्वारा किया जायेगा, तथापि श्रम शक्तियों का देय भुगतान सेवा प्रदाता के स्तर से ऑनलाईन माध्यम से सीधे श्रमिकों के बैंक खाते में किया जायेगा और यह भी कि श्रम भाक्तियों) को उपलब्ध कराई गई पारिश्रमिक की लिखित पुष्टि प्रत्येक माह द्वितीय पक्ष (सेवा प्रदाता) द्वारा प्रथम पक्ष (नियोजक) के कार्यालय में अभिलेख हेतु प्रथम पक्ष द्वारा बिल भुगतान के एक सप्ताह के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जायेगी।
6. द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रस्तुत बिलों के सापेक्ष देय भुगतान से आयकर, जी0एस0टी आदि (जिसकी कटौती नियमानुसार नियोजक द्वारा की जानी है) की कटौती प्रथम पक्ष के कार्यालय द्वारा नियमानुसार की जायेगी।
7. द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गई श्रमिकों को प्रथम पक्ष (नियोजक) को कार्यालय /विभाग से कोई यूनिफॉम (वर्दी) आदि वांछित सामग्री देय नहीं होगी।
8. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को प्रस्तुत बिलों पर अनिवार्य रूप से PAN No. REGISTRATION NO. BANK A/C NO. IFSE CODE व बैंक की शाखा का नाम, पता आदि अंकित होना आवश्यक हैं।
9. द्वितीय पक्ष अर्थात् सेवा प्रदाता संतोषजनक सेवा उपलब्ध न कराये जाने पर प्रथम पक्ष अर्थात नियोजक को यह अधिकार होगा कि व इस अनुबन्ध को समाप्त करने के लिए एक माह का नोटिस देकर लिये जाने वाली सेवा कार्य व सर्विस चार्ज का भुगतान तुरन्त बन्द कर दें एवं प्रथम पक्ष के इस निर्णय के सापेक्ष द्वितीय पक्ष को किसी भी प्रकार की किसी भी स्तर पर कोई आपत्ति नहीं होगी।
10. सेवा प्रदाता फर्म तथा उनके द्वारा उपलब्ध कराये श्रमिकों को नैतिकता के उच्च आदेशों का पालन करना होगा।
11. प्रथम पक्ष के संज्ञान में यदि यह आता है, कि द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रथम पक्ष से कोई महत्वपूर्ण जानकारी छुपाई गयी है तो कार्यालय का अधिकार हमेशा सुरक्षित रहेगा एवं किसी भी समय बिना किसी पूर्व नोटिस के या बिना कारण बतायें अनुबंधित बाह्य सेवायोजक एजेनसियों/फर्म/व्यक्तियों का अनुबन्ध निरस्त/संशोधित कर सकता है।

(बाह्य स्रोत से योजित होने वाले कार्मिकों की सेवाएँ आपूर्ति/उपलब्धता हेतु निविदा आमंत्रण
पत्रांक ई–................../32–35, दिनांक ....)

तकनीकी निविदा–प्रपत्र /प्रारूप

(सादे कागज या लैटर पैड पर टंकित कर प्रस्तुत किया जाए)

1. अर्नेस्ट मनी/नेक जमानत हेतु धनराशि रू0 ....
   एफ0डी0आर0 नं0 .... धनराशि .... दिनांक ....
   बैंक का नाम .... (संलग्नक–1)
2. ई0पी0एफ0 पंजीयन सं0 .... पंजीयन पत्र की छायाप्रति (संलग्न–2)
3. ई0एस0आई0 पंजीयन नं0 .... पंजीयन पत्र की छायाप्रति (संलग्नक–3)
4. जी.एस.टी. पंजीयन नं0 .... पंजीयन पत्र की छायाप्रति (संलग्नक–4)
5. श्रम विभाग पंजीयन नं0.. पंजीयन पत्र की छायाप्रति (संलग्नक–5)
6. पैन नं0.. कार्ड की छायाप्रति (संलग्नक–6)
7. टैन नं0.. कार्ड की छायाप्रति (संलग्नक–7)
8. बाह्य सेवायोजक के रूप में अनुभव संस्थान /वर्ष .... छायाप्रति (संलग्नक–8)
9. विगत तीन वर्षों के आयकर रिटर्न .... (संलग्नक–9)
10. विगत तीन वर्षों के आर्थिक चिट्ठा/ वित्तीय स्थिति .... (संलग्नक–10)
11. उत्तराखण्ड राज्य के शासकीय संस्थान में सेवाप्रदाता का अनुभव .... (संलग्नक–11)
12. सेवाप्रदाता की विगत तीन वर्षों में Out Turn (करोड में) .... (संलग्नक–12)

घोषणा

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार प्रस्तुत की गई सूचनाएँ मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सही है तथा कोई सूचना छिपाई नहीं गई है। यदि कोई सूचना भ्रामक /त्रुटिपूर्ण /असत्य पाई जाती है तो उसके लिए मेरी/हमारी जिम्मेदारी होगी जिसके लिए मेरे/हमारे विरूद्ध कोई भी वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है।

निविदा दाता– ह0........................
पता– ....
....
....

मो0नं0 ....
ई–मेल ....

(कम्पनी /फर्म की दशा में हस्ताक्षरकर्ता के पक्ष में प्राधिकृत अधिकार पत्र भी संलग्न किया जाए)

(बाह्य स्रोत से योजित होने वाले कार्मिकों की सेवाएँ आपूर्ति/उपलब्धता हेतु निविदा आमंत्रण
पत्रांक ई–................../32–35, दिनांक ....)

वित्तीय निविदा का प्रारूप

(सादे कागज या लैटर पैड पर टंकित कर प्रस्तुत किया जाए)

1. कम्पनी /फर्म/ का नाम :–...

2. पता :– ....

   मो0 नं0 .... ई–मेल ....

3. प्रस्तावित निविदा (सेवा उपलब्ध /आपूर्ति करने के विरूद्ध ''सेवा शुल्क'' हेतु प्रस्तावित निविदा)

   प्रतिशत में (अंको में) .... (शब्दों में) ....

नियमानुसार जी0एस0टी0 पृथक से देय होगी।

घोषणा

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार प्रस्तुत की गई सूचनाएँ मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सही है तथा कोई सूचना छिपाई नहीं गई है। यदि कोई सूचना भ्रामक /त्रुटिपूर्ण / असत्य पाई जाती है तो उसके लिए मेरी / हमारी जिम्मेदारी होगी जिसके लिए मेरे /हमारे विरूद्ध कोई वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है।

मो0 नं0 ....

ई–मेल ....

निविदा दाता – ह0 ....

पता– ....

....

....

(कम्पनी/फर्म की दशा में हस्ताक्षरकर्ता के पक्ष में प्राधिकृत अधिकार पत्र भी संलग्न किया जाए)